(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 783–एक/2002–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 154/98–99/निगरानी.

लक्ष्मीनारायण उर्फ दुलेराव पिता परमानंद
मृतक वारिसान–

1– अनुसुयाबाई विधवा लक्ष्मीनारायण
2– वासुदेव पिता लक्ष्मीनारायण
3– रामचंद्र पिता लक्ष्मीनारायण
4– सुखदेव पिता लक्ष्मीनारायण
5– कैलाश पिता लक्ष्मीनारायण
6– कमलाबाई पिता लक्ष्मीनारायण
7– सूरजबाई पिता लक्ष्मीनारायण
निवासीगण लेड़गांव
तहसील सरदारपुर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीधरराव पिता हरिकिशन
2– बालकिशन पिता हरिकिशन
निवासीगण लेड़गांव
तहसील सरदारपुर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम लेड़गांव, खरजूनी, श्यामपुरा, गेंदीखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 182 9, 1830, 1837, 194, 393, 230 के

बटवारा हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, सरदारपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/92–93/अ–27 दर्ज कर दिनांक 30–11–95 को आदेश पारित कर बटवारा स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 श्रीधरराव द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–8–99 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि पक्षकारों के स्वत्वों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2001 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य निगरानी प्रस्तुत की गई थी और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा के बिन्दु का निराकरण किये बिना सीधे गुण–दोष पर आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को समझे बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है और अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा इस ओर बिना ध्यान दिये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण को तहसील न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, इसलिए निगरानी निरस्त किया जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा खातेदारों के मध्य बटवारे में कोई सहमति नहीं होने एवं उभय पक्ष के मध्य असमान बटवारा होने के कारण पक्षकारों के स्वत्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समय बाह्य प्रस्तुत अपील के संबंध में भी अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा की गई है, के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा पुनः बटवारे की कार्यवाही किया जाना है । आवेदकगण को तहसील न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, जहां वे अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2001 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर